चौकसी तंत्र/सचेतक नीति

1. प्रस्तावना:

कंपनी व्यावसायिकता, ईमानदारी और नैतिक आचरण के सर्वोच्च मानदंडों को अंगीकार करके अपना व्यवसाय एवं मामलों का संचालन करने हेतु प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने समस्त कर्मचारियों को सुरक्षित और नैतिकतापारायण कार्य संस्कृति उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की उपधारा 9 के उपबंधों और कंपनी के नियम 7 (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम के अनुसार, सभी सूचीबद्ध शेयरों वाली कंपनियों के लिए एक चौकसी तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है, ताकि उनके निदेशक और कर्मचारी अनैतिक आचरण या अनुचित कृत्य की घटना, यदि कोई हो, सूचित कर सकें।

लिस्टिंग करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार, 1 अक्टूबर 2014 से, सभी सूचीबद्ध शेयरों वाली कंपनियों को निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक "सचेतक नीति" बनाती है ताकि अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहित के वास्तविक या संदेहास्पद उल्लंघन के बारे में सूचित किया जा सके।

कर्मचारियों की पहचान की रक्षा करते हुए कंपनी में गंभीर अनियमितताओं के बारे में उनके द्वारा उनकी चिंता व्यक्त किए जाने के लिए एक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह नीति बनाई गई है।

2. परिभाषाएं:

इस नीति में प्रयुक्त कुछ मुख्य शब्दों की परिभाषाएं नीचे उल्लिखित हैं:

i. **"परीक्षण समिति"** से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, और स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूची लिस्टिंग करार के खंड–49 के साथ पठित, के अनुसार कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा गठित परीक्षण समिति अभिप्रेत है।

ii. **"सक्षम प्राधिकारी"** से कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर–डोमेस्टिक और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर–इंटरनेशनल अभिप्रेत है और वह व्यक्ति सम्मिलित है (हैं) जिन्हें वह समय–समय पर इस नीति के अंतर्गत अपनी कोई शक्ति प्रत्यायोजित करे।

iii. **"कर्मचारी"** से कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी (भले भारत या विदेश में कार्यरत हो) अभिप्रेत है, जिसमें कंपनी के नियोजन में निदेशकगण सम्मिलित हैं।

iv. **"अन्वेषक"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो संरक्षित प्रकटन के अन्वेषण में सहायता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत, नियुक्त किए गए, जिनसे परामर्श किया गया या संपर्क साधा गया है तथा कंपनी के परीक्षण अधिकारी और पुलिस सम्मिलित है।

v. **"सुरक्षित प्रकटन"** से सद्भाव में पत्रादि अभिप्रेत है जो ऐसी सूचना प्रकट या प्रदर्शित करता है जो अनैतिक या अनुचित कृत्य का साक्ष्य हो।

vi. **"व्यक्ति"** से एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध या संबंध में एक संरक्षित प्रकटन किया गया है या एक अन्वेषण के दौरान साक्ष्य एकत्रित कए गए हैं।

vii. **"अनैतिक या अनुचित कार्य"** से अभिप्रेत है, लेकिन इस तक सीमित नहीं हैः

a) प्राधिकार का दुरुपयोग।
b) संविदा का उल्लंघन।
c) कंपनी डाटा/अभिलेखों में छल–कपट।
d) कोई गैर–कानूनी कृत्य, भले फौजदारी/दीवानी हो।
e) जानबूझकर वित्तीय अनियमितताएं, जिसमें जालसाजी या संदेहास्पद जालसाजी सम्मिलित है।
f) सकल या स्वेच्छाचारी लापरवाही जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण के लिए महत्त्वपूर्ण और निर्दिष्ट जोखिम उत्पन्न हो।
g) अन्य निदेशकों/व्यावसायिक भागीदारों/कर्मचारियों या सुग्राही वयस्कों के साथ अवचार (उदाहरणार्थ, शारीरिक, यौन, मनोविज्ञानी या वित्तीय उत्पीड़न, शोषण के माध्यम से)।
h) कंपनी निधियों/आस्तियों की बर्बादी/गबन।
i) कंपनी की नीतियों का उल्लंघन।
j) गुप्त/स्वाम्य सूचना की चोरी।

viii) **"सचेतक"** वह है जो इस नीति के अंतर्गत एक संरक्षित प्रकटन करता है।

3. पात्रताः–

कंपनी के समस्त कर्मचारी इस नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटन करने के हकदार हैं। कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी से संबंधित मामलों के संबंध में संरक्षित प्रकटन किया जा सकता है।

4. अनर्हताएंः–

a. हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सच्चे सचेतक को किसी भी प्रकार के अन्यायपूर्ण व्यवहार से संरक्षण प्रदान किया जाए, जैसा कि इसमें निर्धारित किया गया है, लेकिन इस संरक्षण के किसी दुरुपयोग पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

b. इस नीति के अंतर्गत संरक्षण से, सचेतक द्वारा इसके मिथ्या होने के बारे में जानते हुए या असद्भावी मंशा के साथ लगाए गए मिथ्या आरोपों से प्रोद्भूत अनुशासनिक कार्यवाही से संरक्षण अभिप्रेत नहीं है।

c. सचेतक, जिसने कोई संरक्षित प्रकटन किया है, जो तत्पश्चात असद्भावी या दुर्भावनापूर्ण पाया गया है या सचेतक जिसने 3 या अधिक संरक्षित प्रकटन किए हैं जो तत्पश्चात तुच्छ, निराधार या सद्भाव से अन्यथा सूचित किए गए पाए गए थे, को इस नीति के अंतर्गत अतिरिक्त संरक्षित प्रकटन करने से अनर्हक कर दिया जाएगा और अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा।

5. पद्धतिः–

समस्त संरक्षित प्रकटन, उसके बारे में सचेतक के अभिज्ञ होने के पश्चात 30 दिन से अनधिक, शिकायतकर्ता द्वारा शीघ्रोशीघ्र सूचित किए जाने चाहिए तथा अंग्रेजी या हिंदी या सचेतक के नियोजन स्थान की देशी भाषा में टंकित अथवा सुवाच्य लिखावट में लिखित होने चाहिए।

एक नियम के रूप में, गुमनाम प्रकटनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शिकायतकर्ता द्वारा एक बंद एवं सुरक्षित लिफाफे में उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रावण पत्र के तहत संरक्षित प्रकटन प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बाहर लिफाफे पर **"सचेतक नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटन"** लिखा होना चाहिए या **"सचेतक नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटन"** विषय के साथ ईमेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। यदि उपर्युक्तानुसार शिकायत के लिफाफे बाहर लिखा और बंद नहीं है तो सचेतक को संरक्षण उपलब्ध कराना, जैसा कि इस नीति के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, संभव नहीं होगा।

समस्त संरक्षित प्रकटन कंपनी के सक्षम प्राधिकारी या आपवादिक मामलों में परीक्षण समिति के अध्यक्ष को संबोधित होने चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी का संपर्क विवरण इस प्रकार हैः–

नाम और पता	श्री भीषम वडेरा चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर ओमैक्स स्क्वेयर, प्लॉट नं. 14, जसोला डिस्ट्रिट सेंटर, जसोला, नई दिल्ली–110025
ईमेल आईडी	chatwithbhisham-gpi@modi.com

सक्षम प्राधिकारी प्रावरण पत्र को पृथक करेगा और अन्वेषण हेतु अन्वेषकों को केवल संरक्षित प्रकटन अग्रेषित करेगा।

6. अन्वेषण और अन्वेषकों का कार्यः–

a) उठाए गए मामले का आंतरिक रूप से अन्वेषण किया जा सकता है या किसी बाहरी अन्वेषक के हवाले किया जा सकता है जो सचेतक द्वारा उठाई गई चिंता की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

b) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्वेषण करवाने का निर्णय स्वयं एक आरोप नहीं है और इस निष्पक्ष तथ्यान्वेषी प्रक्रिया माना जाना चाहिए। संभवतः अन्वेषण का परिणाम सचेतक के इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करे कि एक अनुचित या अनैतिक कृत्य किया गया था।

c) सामान्यतः व्यक्ति/व्यक्तियों को एक औपचारिक अन्वेषण के आरंभ में आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और अन्वेषण के दौरान उनका सहयोग उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाएगा।

d) अन्वेषण के दौरान सक्षम प्राधिकारी या किसी अन्वेषक से सहयोग करना व्यक्ति/व्यक्तियों की ड्यूटी होगी जो इस सीमा के अध्यधीन होगा कि ऐसे सहयोग से प्रवृत्त कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध स्वयं को दोषी ठहराने की सुरक्षा से समझौता नहीं हो।

e) व्यक्ति/व्यक्तियों के पास अन्वेषक और/या परीक्षण समिति के सदस्यों और/या सचेतक से इतर, उसकी/उनकी पसंद के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से परामर्श करने का अधिकार होगा। व्यक्ति अन्वेषण कार्यवाही में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी समय स्वयं उनकी लागत पर काउंसल नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बहरहाल, यदि व्यक्ति के विरुद्ध आरोप संधारणीय नहीं है तो कंपनी ऐसी लागतों की प्रतिपूर्ति करने का कारण देख सकती है।

f) व्यक्तियों के पास अन्वेषण के परिणाम सूचित किए जाने का अधिकार होगा।

g) सामान्यतः संरक्षित प्रकटन की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के अंदर अन्वेषण पूरा किया जाएगा और 45 दिन से आगे के विलंब का अन्वेषण प्रतिवेदन में औचित्य सिद्ध किया जाएगा।

अन्वेषक के कार्य इस प्रकार होंगेः

i. अन्वेषकों से तथ्यान्वेषण और विश्लेषण की दिशा में एक प्रक्रिया संपन्न करना अपेक्षित है।

ii. सभी अन्वेषक स्वतंत्र तथा तथ्य और यथा बोधगम्य, दोनों के संबंध में निष्पक्ष होंगे।

iii. न्याय, वस्तुनिष्ठता, संपूर्णता, नैतिक आचरण और विधायी एवं व्यावसायिक मानदंडों का अनुपालन अन्वेषकों की ड्यूटी है।
iv. सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक प्रारंभिक पुनरीक्षा के पश्चात् ही अन्वेषण आरंभ किया जाएगा।
v. अन्वेषक सदैव कड़ी गोपनीयता बनाए रखेंगे।
vi. अन्वेषक जांच का परिणाम व्युत्पन्न करेंगे और कार्रवाई के उपयुक्त मार्ग की संस्तुति करेंगे।
vii. अन्वेषक अपना प्रतिवदेन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

7. निर्णयः—

यदि किसी अन्वेषण के फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि एक अनुचित या अनैतिक कृत्य किया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी प्रवृत्त सेवा नियमों के उपबंध के अंतर्गत अनुशासनिक अथवा निवारक कार्यवाही करने और/या प्रवृत्त सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत कार्यवाही शुरु करने हेतु कंपनी के प्रबंधक—वर्ग को संस्तुति करेगा।

इस नीति के अनुपालन में किसी अन्वेषण के निष्कर्षों के फलस्वरूप व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई अनुशासनिक या निवारक कार्यवाही, कार्मिक या कर्मचारी आचरण एवं अनुशासन पद्धतियों का अनुपालन करेगी।

यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि अन्वेषण से प्रकट होता है कि संरक्षित प्रकटन के संबंध में आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है तो वह यह अभिलिखित करेगा।

8. प्रतिवेदनः—

नीति के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की संख्या, संचालित अन्वेषण और उनके परिणाम का एक तिमाही प्रतिवेदन परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

परीक्षण समिति के पास सक्षम प्राधिकारी की किसी कार्रवाई या लिए गए निर्णय की पुनरीक्षा करने की शक्ति होगी।

9. संरक्षणः—

इस नीति के अंतर्गत एक संरक्षित प्रकटन की सूचना देने की वजह से सचेतक के साथ कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। कंपनी, एक नीति के रूप में, सचेतकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न, अत्याचार या किसी अन्य अन्यायपूर्ण नियोजन रीति की भर्त्सना करती है।

कंपनी उन कठिनाइयों को अल्पतम करने हेतु कदम उठाएगी जो संरक्षित प्रकटन करने के फलस्वरूप सचेतक अनुभव कर सकता/सकती है।

सचेतक की पहचान कानून के अंतर्गत यथासंभव और अनुमेय सीमा तक गुप्त रखी जाएगी।

उक्त अन्वेषण में सहायता करने वाले किसी अन्य कर्मचारी का भी सचेतक के समान सीमा तक सरंक्षण किया जाएगा।

10. गोपनीयताः—

इस नीति के अंतर्गत उठाई गई समस्त चिंताओं और मसलों पर गुप्त विधि से संव्यवहार किया जाएगा, सिवाय एक संपूर्ण, निष्पक्ष और कारगर अन्वेषण करने हेतु आवश्यक सीमा के।

सचेतक, व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी, परीक्षण समिति के सदस्य, अन्वेषक और इस प्रक्रिया में सम्मिलित सर्वजन मामले की पूर्ण गोपनीयता/राज बनाए रखेंगे।

यदि कोई उपयुक्त का अनुपालन नहीं करता हुआ पाया जाता है तो वह ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही का, जैसा कि उपयुक्त समझी जाए, दायी होगा/होगी।

11. दस्तावेजों का अवधारणः—

कंपनी द्वारा समस्त लिखित या दस्तावेजबद्ध संरक्षित प्रकटनों का, तत्संबंधी अन्वेषण के परिणामों सहित, सात वर्ष की न्यूनतम अवधि हेतु अवधारण किया जाएगा।

12. संशोधनः—

कंपनी के पास किसी भी समय कोई कारण बताए बिना, कुछ भी, इस नीति में संशोधन या आशोधन करने का उसका अधिकार आरक्षित है। इस नीति में कोई भी संशोधन कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने तथा कंपनी की वेबसाइट पर डाले जाने की तारीख से प्रभावी होगा।